राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर– 302005

क्रमांकः आईपीआई / पी.5 / 337 / 2025

परिपत्र

राईजिंग राजस्थान–ग्लोबल इन्वेस्टमेन्ट समिट–2024 के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशकों के लिए चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों (आरक्षित भूखण्डों सहित) में आरक्षित मूल्य पर औद्योगिक भूखण्डों के प्रत्यक्ष आवंटन रीको भू–निपटान नियम, 1979 के नियम 3 (AJ) के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। उक्त नियम के अनुसार आवंटित भूखण्ड पर उत्पादन प्रारम्भ करने से पहले विभिन्न मध्यावर्ती अनुक्रमों की पालना आवंटन की शर्तो के अनुसार किया जाना आवश्यक है। निर्धारित समयावधि में मध्यावर्ती अनुक्रम पूर्ण न करने की स्थिति में आवंटन निरस्त करने का भी प्रावधान है। निगम प्रबन्धन द्वारा पत्र क्रमांक आईपीआई / पी.5 / 343 / 2025 / 477 दिनांक 13.05.2025 से मध्यावर्ती अनुक्रमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नियत अनुक्रम पूर्व wakeup नोटिस व नियत समय पश्चात कारण बताओं नोटिस जारी किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे (प्रति संलग्न)।

यह संज्ञान में आया है कि इकाई प्रभारियों द्वारा मध्यावर्ती अनुक्रमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नियत अनुक्रम पूर्व wakeup नोटिस व नियत समय पर कारण बताओं नोटिस ERP Portal से जारी नहीं किये जाकर नियमानुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः समस्त इकाई प्रभारियो को पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्यक्ष आवंटन योजना–2025 के तहत निर्धारित मध्यावर्ती अनुक्रमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नियत अनुक्रम पूर्व wakeup नोटिस व नियत समय पर कारण बताओं नोटिस ERP Portal से जारी कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं किये जाने पर सम्बन्धित इकाई प्रभारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(निमिषा गुप्ता)
सलाहकार (इन्फ्रा)

प्रतिलिपिः

1. units@riico.co.in
2. staff@riico.co.in

Signature Not Verified

Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation : ADVISOR PERS
Date: 2026.01.13 10:08:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19793920

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट
एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

क्रमांकःआईपीआई / पी.5 / 343 / 2025 /477

इकाई प्रभारी,
रीको,

....

....

विषयः प्रत्यक्ष आवंटन योजना – 2025 के द्वितीय चरण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

"राईजिंग राजस्थान–ग्लोबल इन्वेस्टमेन्ट समिट–2024" के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशकों के लिए चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र (आरक्षित भूखंडों सहित) में आरक्षित मूल्य पर औद्योगिक भूखण्डों के प्रत्यक्ष आवंटन योजना–2025 के क्रम में निगम प्रबन्धन द्वारा आदेश क्रमांक 2 / 2025 दिनांक 14.03.2025 जारी किया गया है। उक्त प्रत्य क्ष आवंटन योजना–2025 के प्रथम चरण में आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया सम्पन्न हो चुकी है एवं द्वितीय चरण की प्रक्रिया दिनांक 15.05.2025 से प्रारम्भ की जानी है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के प्रथम चरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए द्वितीय चरण की प्रक्रिया हेतु समस्त इकाई प्रभारियों को निम्नलिखित दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते है।

1. माईलस्टोन एम–2 में लम्बित सभी एमओयू निष्पादनकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से वार्ता कर भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करें। यदि किसी एमओयू निष्पादनकर्ता के पास पूर्व से रीको औद्योगिक क्षेत्र में भूमि उपलब्ध है एवं वह इकाई स्थापित करने में डिफॉल्टर है तो ऐसे एमओयू निष्पादनकर्ता को एम–2 लम्बित में शामिल नहीं करना है एवं अग्रिम माईलस्टोन में शिफ्ट किया जाना है।

2. प्रत्यक्ष आवंटन योजना के प्रथम चरण में जिन भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है ऐसे भूखण्डों को द्वितीय चरण योजना में सम्मिलित नहीं किया जाये। प्रथम चरण की योजना के पश्चात नये खोले गये औद्योगिक क्षेत्र जिनमें आवंटन हेतु भूखण्ड खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है उन्हें प्रत्यक्ष आवंटन योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें।

3. नये खोले गये औद्योगिक क्षेत्रों के औद्योगिक भूखण्डों की आरक्षित दर का निर्धारण आदेश (1 / 2025) दिनांक 14.03.2025 के अनुसार अतिशीघ्र किया जाना सुनिश्चित करे। आरक्षित दर निर्धारण के सम्बन्ध में समान तरह के भूखण्डों की दर में एकरूपता रखे जाने के बिन्दु को भी ध्यान में रखा जाये। इसके अतिरिक्त उक्त नवीन भूखण्डों की EC Category को भी ईआरपी पोर्टल पर अद्यतन किया जाये।

4. प्रत्यक्ष आवंटन योजना के प्रावधानों के अनुसार सफल आवेदक को निर्धारित कार्य दिवस में आवंटन संबंधी ऑन लाईन ऑफर लेटर दिया जाना सुनिश्चित करें।

5. प्रथम चरण हेतु आवंटन प्रक्रिया के दौरान कुछ इकाई प्रभारियों द्वारा आंवटन से सम्बन्धित पत्रावलीयां मार्ग दर्शन प्राप्त हेतु मुख्यायल भिजवाई गई थी, जिनको मार्ग दर्शन पश्चात इकाई कार्यालय वापस भिजवा दिया गया था, अतः द्वितीय चरण में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों में कोई भी देरी अनावश्यक रूप से नहीं हो, इस क्रम में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

a) प्रथम चरण की आवंटन प्रक्रिया के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदक द्वारा प्रत्यक्ष आवंटन योजना–2025 के तहत एमओयू निष्पादन के दौरान अंकित (कंपनी/फर्म/पार्टनरशिप फर्म) से अलग नाम से आवेदन किया गया तथा इस अलग इकाई का संविधान भी एमओयू निष्पादन के दौरान दी गई इकाई के विवरण से भिन्न था। उक्त परिस्थितियों में यह निर्देशित किया जाता है कि आवंटन का ऑफर लेटर एमओयू निष्पादनकर्ता द्वारा एमओयू निष्पादन के दौरान दी गई इकाई के नाम ही जारी किये जाने का प्रावधान है, अतः इस सम्बन्ध में एमओयू निष्पादनकर्ताओं को इकाई स्तर से जागरूक किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

b) कुछ प्रकरणों में पाया गया कि एमओयू तो पुरूष के नाम से किया गया है तथा महिलाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड पर उसी एमओयू से आवेदन कर दिया गया, जो कि स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

c) कुछ प्रकरणों में पाया गया है कि एमओयू निष्पादकर्ता द्वारा एमओयू के समय ग्रुप ऑफ कम्पनी का नाम अंकित किया गया था परन्तु आवेदन ग्रुप ऑफ कम्पनी की सहायक कम्पनी के नाम से किया गया, अतः ऐसी परिस्थितियों में ऑफर लेटर जारी करते समय ऑफर लेटर में आवेदनकर्ता से स्पष्टीकरण मांगते हुए उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की शर्त अंकित की जाये तथा आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण व दस्तावेजों के आधार पर इकाई प्रभारी उचित निर्णय लिया जाना सुनिश्चित करें।

6. प्रत्यक्ष आवंटन योजना – 2025 के प्रथम चरण में आवंटित भूखण्डों के मध्यवर्ती अनुक्रमों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु नियत अनुक्रम से पूर्व Wakeup Notice व नियत समय पश्चात कारण बताओं नोटिस जारी किया जाना सुनिश्चित करें। इस क्रम में Wakeup Notice का प्रारूप **Annexure-1** पर संलग्न है।

(सुभाष महरिया)
सलाहकार (इन्फ्रा)

प्रतिलिपिः

1- units@riico.co.in
2- staff@riico.co.in

Annexure-1

Draft for Wakeup Notice

M/s ....
....
....

Sub: Allotment of industrial Plot No .... at Industrial area .... under RIICO Disposal of Land Rules, 1979.

Dear Sir/Mam,

With reference to above cited subject, it is to inform you that allotment letter for Plot No. .... at industrial area .... was issued by this office on .... As per terms & conditions of allotment letter, you are required to follow the intermediate milestones for setting up your project.

You are therefore requested to look into the above milestones once again and take effective steps accordingly. In case of failure to achieve particular milestones upto due period, the allotment of plot is liable to be cancelled.

Thanking you,

Yours faithfully,

UNIT HEAD